संसाधन पुस्तिका

aadi

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

hans THE FOUNDATION

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहॅचेगा ।

विकास एवं पंचायत

1.विकास एवं पंचयात

गाँवो के विकास के लिए, गाँव वासियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा मिलकर ग्रामीण विकास का कार्य किया जाता है। लोगों द्वारा चुनी हुई पहली कड़ी पचांयत होती है, जिसका सम्पर्क गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से प्रतिदिन होता है तथ उनसे जुड़े मुद्दों को समझकर उन पर कार्य होता है तथा उसमें सहयोग देने व आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार के द्वारा अधिकारी नियुक्त होते हैं।

ग्राम पंचायत चुनाव लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, जहॉ 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी वर्ग, जाति, धर्म तथा महिला–पुरूष जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं को मतदान करने का संवैधानिक अधिकार है तथा चुनाव लड़ने व जन समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधि बनने का भी अधिकार है, किन्तु हरियाणा में चुनाव लड़ने व जन समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधि बनने के लिए शिक्षा अनिवार्य है । सभी गॉवों में आरक्षण के आधार पर प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं जो कि अभी केवल जाति व लिंग के लिए लागू है । ग्राम पंचायत का चुनाव हर 5 साल बाद होता है। ग्राम पंचायत अपने आप में एक लोकल गवर्नमेन्ट का काम करती है। गाँव की पंचायत में सरपंच, पंच व गाँव के लोग शामिल होते हैं। सरपंच का चुनाव जनता के मतों के आधार पर होता है। सरपंच गाँव का मुखिया होता है। सरपंच के पास अधिकार व शक्ति होती है कि वह गाँव के विकास के लिए कार्य करे जिससे लोगों का भला हो। पंच का चुनाव एक वार्ड में किया जाता है। पंचो की संख्या जनसंख्या के आधार पर होती है यह संख्या 5 से 21 तक होती है। इसमें भी, एस.सी. ,बी.सी. और महिलाओ के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। सरपंच का वेतन 3000 रूपए प्रतिमाह व पंच का वेतन 1500 रूपए प्रति माह होता है। ग्राम पंचायत में पंच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरपंच, पंचो की एकता के आधार पर ही गाँव की भलाई के लिए कोई योजना बना सकते हैं तथा उसके बाद योजना के अनुसार कार्य किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के द्वारा गॉव के विकास के लिए किये जाने वाले प्रमुख कार्य हैं :

- गॉव में पीने के पानी व घरेलू कार्यों के लिए स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करना
- पोखर व जोहड़ का रख–रखाव व देखभाल
- गरीबों के लिए प्लॉट का प्रबन्ध करना
- गॉव में साफ सफाई करवाना व जन–समुदाय के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना
- ग्राम पंचायत की जमीन को पट्टे पर देना
- गॉव में वातावरण स्वच्छता के लिए शौचालय व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण व उनका रख–रखाव। वातावरण स्वच्छता के लिए भी जन– समुदाय को जागरूक करना
- गॉव में शिक्षा को बढ़ावा देने, निःशुल्क शिक्षा व उच्च स्तर के विद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करना
- शमशान घाट व कब्रिस्तान का रख रखाव
- गॉव में घास वाली जमीन, जंगल, पंचायती जमीन, कुँओं का रख रखाव व संरक्षण
- गॉव में पेड लगवाना व वृक्षारोपण की भावना को प्रोत्साहित करना
- मनोरंजन, बीमा, कृषक ऋण, राशन कार्ड, पेन कार्ड व अन्य जरूरी सुविधाओं के बारे में जानकारी रखना तथा लोगो को उनके प्रति जागरूक करना व इन सुविधाओं के फॉर्म रखना व गॉवो वालों की सुविधा लेने में सहायता करना
- कृषि वृद्धि के कार्यक्रमों में भाग लेना व लोगों को उपज बढाने के नए–2 तरीके बताना
- ऑगनवाड़ी को सुचारु रूप से चलाने में मदद करना

- पशु पालन सें जुड़े रोजगार को बढ़ाना
- सड़क, चौपाल, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान व निकासी के लिए नालों का निर्माण करवाना
- पंचायत की कमाई के साधनों का विकास करना व ग्राम विकास के लिए खर्च करना
- विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कैम्पों का आयोजन करना जिसमें समाज में रहने वाले सभी वर्गों के लोग जागरूक हो सकें । जैसे कृषि, पशु , जिला समाज कल्याण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, स्वास्थ्य,शिक्षा आदि विभागों के कैम्प लगाना
- महिलाओं, वृद्ध व विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षा, व सुरक्षा के लिए भी पंचायत कार्य करती है जैसे सुगमता के लिए सड़क, रैम्प का निमार्ण, विद्यालय में दाखिला, ऋण की जानकारी देना व पैन्शन बंधवाना आदि
- आपसी मेल–जोल को बढ़ावा देना व छोटे विवादों का निपटान करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना
- बाजार , बस/ऑटो स्टैन्ड का निमार्ण करना
- अनुसूचित जाति/जनजाति व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनी हुई योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना

ग्राम सभा की मीटिंग

प्रत्येक गॉव मे सरपंच के द्वारा वर्ष मे 2 बार ,हर छः माह के अन्तराल पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना अनिवार्य है जिसकी जानकारी पंच व सरपंचो के द्वारा मुनादी या अन्य माध्यमों से ग्राम वासियों को दी जाती है । वह ग्राम वासी जो वोटर है, इस मीटिंग में भाग लेने का हकदार है। ग्राम सभा की मीटिंग में पंचायत के द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की जाती है, खर्चा बताया जाता है व भविष्य में कहॉ, कैसे व किसके लिए क्या योजना है, क्या कार्य होना है, उसका बजट क्या है आदि की जानकारी भी ग्राम सभा की मीटिंग में ग्राम वासियों को दी जाती है । ग्राम सभा की मीटिंग में ग्राम वासी, ग्राम विकास के मुद्दे से जुड़े किसी भी विषय पर पंचायत से सवाल–जवाब तथा सुझाव/शिकायत कर सकते हैं ।

ग्राम सचिव

प्रत्येक गॉव मे सरकार के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया है , जो कि पंचायत का लेखा –जोखा , प्रस्ताव बुक व अन्य रिकार्ड रखता है। वह सरपंच व पंचायत के कहने पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना आदि कार्य भी करता है। ग्राम सचिव ग्राम विकास एवमं पंचायती राज विभाग से होता है ।

चौकीदार

ग्राम विकास एवमं पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रत्येक गॉव में एक चौकीदार नियुक्त किया गया है जो कि सरपंच व पंचायत के कहने पर पंचायत व अन्य विभागों की सूचना मुनादी व अन्य तरीकों से ग्रामवासियों तक पहुॅचाता है । रात को सुरक्षा का कार्य भी सरपंच व पंचायत के कहने पर करता है।

सफाई कर्मी

सरपंच व पंचायत के द्वारा गॉव के रिहायशी क्षेत्रों में सफाई के लिए नियुक्त किये जाते हैं, जिनको न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाता है । सरपंच व पंचायत के द्वारा सूची तैयार करके बी.डी.ओ. कार्यालय में भेजी जाती है तथा वहॉ से मंजूरी आने पर व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाता है।

ब्लॉक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के साथ सरपंच मिलकर गाँव के विकास की योजनाएँ व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, निम्नलिखित पते पर है :

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय,
कमरा न0–3, मोहना रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
फोन न0 0129–2242244, 08860205066

ग्राम विकास से जुड़े किसी भी निर्माण एवं अन्य पंचायत सम्बन्धी किसी भी योजना एवं जानकारी के लिए सीधे खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा सुझाव व शिकायत भी दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरपंच, ग्राम सचिव सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए बी. डी. ओ. कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

इसी कार्यालय में गाँव में निमार्ण कार्य को कराने, नक्शा, गुणवत्ता तथा समीक्षा के लिए, सिविल कार्य की देख–रेख के लिए एस. डी. ओ. व कनिष्क (जूनियर) इंजीनियर नियुक्त हैं जो कि बी. डी. ओ. के तहत् ही कार्य करते हैं। यहाँ बल्लभगढ़ ब्लॉक में एस. डी. ओ. तथा 4 कनिष्क (जूनियर) अभियन्ता नियुक्त हैं जो पूरे ब्लॉक के निमार्ण सम्बन्धी कार्य को देखते हैं। उनके नाम व फोन न0 निम्नलिखित हैं :

एस. डी. ओ. - 9416321177	श्री वी. वी. मलिक
कनिष्क अभियन्ता - 9810898140	श्री पोप सिहं
कनिष्क अभियन्ता –9999323133	श्री संजय
कनिष्क अभियन्ता - 9891967763	श्री हरीश
कनिष्क अभियन्ता - 9350056760	श्री जगपाल

एस. डी. ओ. व कनिष्क अभियन्ता से गाँव से निर्माण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

यदि खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी से संतुष्टि नहीं होती है ,तो जिला स्तर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। जिसका पता निम्नलिखित है :

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय,
कमरा न0 205, द्वितीय तल,
लघु सचिवालय, कोर्ट, सै0– 12, फरीदाबाद.
फोन न0 0129–2222138, 9991964999
Email- ddpofbd@hry.nic.in

इन्हीं के साथ अधिशासी अभियन्ता, पंचायती राज का भी कार्यालय है, जहाँ से कोई भी निर्माण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
जन सूचना अधिकार कानून–2005 के तहत् भी यहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है। जो पत्र व दस्तावेज जन सूचना अधिकारी कानून के तहत् जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं उसकी छाया प्रति अवश्य अपने पास रखनी होती है।

जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी (DRDA) भी ग्रामीण विकास में इनके तहत् ही कार्य करती है जिसका अध्यक्ष जिला उपायुक्त होता है। अतिरिक्त उपायुक्त और जिला परिषद अध्यक्ष भी इसी ऐजेंसी के कार्यों को करने में प्रशासन की मदद करते हैं। जन सूचना अधिकार कानून–2005 के तहत् जानकारी उपायुक्त कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

जिला उपायुक्त
जिला आयुक्त कार्यालय
लघु सचिवालय, प्रथम तल
कोर्ट, फरीदाबाद
फोन न0– 0129–2226604, 2227936
Email- adcfbd@hry.nic.in

अथवा

अतिरिक्त उपायुक्त
अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय
लघु सचिवालय, प्रथम तल
कोर्ट फरीदाबाद
0129–2227922
Email- adcfbd@hry.nic.in

जिला आयुक्त से मिलने का समय सुबह 11–12 बजे तक है।

यदि जिला स्तर के कार्यालय से प्राप्त जानकारी या शिकायत से संतुष्टि नहीं होती है तो राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं। जिनका पता निम्न लिखित है :

अतिरिक्त मुख्य सचिव (हरियाणा सरकार),
ग्रामीण विकास विभाग,
कमरा न0 403, चौथा तल,
सेक्टर–17, नया सिविल सचिवालय हरियाणा,
चण्डीगढ़– 160017
फोन न0 0172–2711706
email- fcdp@hry.nic.in

या

निदेशक एवं विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा,
तीसरा तल, वेज – 30 बिल्डिंग,
सेक्टर–17–सी, चण्डीगढ़– 160017
फोन न0 0172–2705535
email- drd@hry.nic.in

इन दोनों कार्यालयों में जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् पत्र लिखकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन पहले वाले पत्रों व दस्तावेजों की छाया प्रति साथ में संलग्न करनी होगी तथा यदि डाक के द्वारा भेजते हैं तो सभी की छाया प्रति रखनी होगी । यदि सीधे किसी भी कार्यालय में जमा करवाते हैं तो खण्ड विकास अधिकारी से लेकर राज्य स्तर के कार्यालय तक सभी जगह से प्राप्ति रसीद अवश्य लेनी है।

जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी की प्रमुख योजनाएँ

1. आदर्श ग्राम योजना

इसके तहत् स्थानीय मान्नीय संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से किसी एक ग्राम को आदर्श ग्राम के लिए चुनेगें व उसमें विकास कार्य करवायेंगे। फरीदाबाद से सांसद ने तिलपत ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना है । इसके प्रभारी अधिकारी सहायक आयुक्त (ए.डी.सी.) फरीदाबाद हैं।

2. मनरेगा

मनरेगा में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अपर उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही इसके जिला कार्यक्रम संयोजक होते हैं इसके लिए अधिक जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त कर सकते हैं तथा जिला परिषद व ग्राम पंचायत के पास जाकर भी आप रोजगार माँग सकते हैं जिसमें 100 दिन का नियमित रोजगार तथा न्यूनतम वेतन/ मजदूरी प्रतिदिन मिलेगी एवं जॉब कार्ड बनेगा। इसमें विकलांग व्यक्ति को भी रोजगार मिलता है।

3. इन्दिरा आवास योजना

इसके तहत् प्रत्येक गॉव मे घर बनाने के लिए आर्थिक मदद की जाती है । इसके अर्न्तगत् मजदूरों व कामगारों को विशेषतः पुर्नवासित मजदूरों व कामगारों को , परेशानी से ग्रस्त महिला जिसमें विधवा, तलाकशुदा, किसी प्रकार के अत्याचार की पीडित महिला, महिला जो परिवार की मुखिया हो या पति की गुमशुदगी को कम से कम 3 वर्ष हो गये हों, परिवार मे एकलौती लडकी, मानसिक व शारीरिक विकलांग व्यक्ति कम से कम 40 प्रतिशत जिनकी विकलांगता है, अन्य लिंग वाले व्यक्तियों, सैनिक/अर्धसैनिक बलों/पुलिस बल के कर्मचारियों की विधवा व आश्रित चाहे वो गरीबी रेखा में न आते हों, कैंसर या कुष्ट प्रभवित परिवार, HIV पीडित व्यक्ति या परिवार को प्राथमिकता मिलती है । कुल राशि– 70000 रूपए मिलते हैं, इसके अलावा 11000 रूपए अतिरिक्त राज्य सरकार देती है व 12000 रूपए शौचालय बनवाने के लिए दिए जाते हैं।

4. पिछड़ा क्षेत्र फंड योजना

इसमें केवल सिरसा व महेन्द्रगढ़ हैं।

5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

इनमें जरूरतमंद क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि से खर्चा किया जाता है, यह राशि उस चुने हुए क्षेत्र में पीने के पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई योजना ,गैर पारंपरिक ऊर्जा साधन, अन्य सार्वजनिक सुविधा, रेल, सड़क, यात्री पार पथ आदि, नालों/नालियों द्वारा पानी की निकासी एवं सामुदायिक स्वास्थ ,खेल, कृषि से सम्बन्धित कार्य, हस्तकला विकास, शहरी विकास आदि कार्यो पर खर्च हो सकती है।

6. हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

इसके तहत् गरीबी को कम करने के लिए, ग्रामीण युवा निवासियों को प्रशिक्षित करके रोजगार में लगाया जाता है, जिसका मुख्यालय है :

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
अक्षय Åर्जा भवन, दूसरा तल,
संस्थानिक प्लाट स01,सै–1 पंचकूला

7. प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना

इस योजना के अन्तर्गत् भूमि का उसकी क्षमतानुसार उपयोग, वर्षा जल का अधिकतम संचय व संरक्षण, पीने के पानी का प्रबंध, चैक डैम बनवाना, स्वयं सहायता समूह का निर्माण व आय अर्जित करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना है।

8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना

इस योजना के अन्तर्गत् ग्रामीण समुदाय के जीवन को संरक्षित व पोषित करने के लिए जिसमें समानता व समावेशन हो, इस प्रकार की शहरी सुविधाओं को ग्राम स्तर पर विकसित करना है। ये अभी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।

इन सबके अलावा स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश मे चल रहा है जिसके तहत् वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कार्य हो रहा है । इसमें कूड़े– कचरे को इधर–उधर ना फेंकने को रोकने व कूड़े –कचरे के निपटान का प्रबंध करना, खुले में शौच को त्यागने से रोकने के लिए प्रत्येक घर मे शौचालय का निमार्ण करवाना प्रमुख कार्य है।

शौचालयों का निमार्ण करवाने में पंच व सरपंचो की मुख्य भूमिका है तथा ऑगनवाडी कार्यकÙाा के द्वारा भी प्रत्येक गॉव मे शौचालयों की सही संख्या जानने के लिए सर्वे किया गया है । शौचालय निमार्ण के लिए ग्राम स्तर पर ग्रामीण कार्यकर्ताओं व संसाधनों से भी मिला जा सकता है क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा इनके पास फॉर्म उपलब्ध करवाये गये हैं। विकलांग व्यक्ति भी इसमे सम्मलित हैं ।

संदर्भ सूची

ग्राम विकास एवमं पंचायत राज विभागः ग्राम विकास एवमं पंचायत विभाग के ब्लाक व जिला स्तर के कार्यालय व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यालय तथा वैब साइट www.haryanarural.gov.in, www.harpanvhyats.gov.in, www.faridabad.nic.in, www.mmp.cips.org.in